हरियाणा सरकार
परिवहन विभाग
अधिसूचना

दिनांक 23 अगस्त, 2013

संख्या 22/76/2003–2टी(1).–मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम 59), की धारा 67 की उपधारा (1) के खण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग, अधिसूचना संख्या 22/76/2003–2टी(1), दिनांक 13 दिसम्बर, 2012 के अधिक्रमण में, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, राज्य परिवहन प्राधिकरण, हरियाणा को हरियाणा राज्य में मंजिली गाड़ियों के लिये किराये और माल–भाड़े की दरों को नियत करने सम्बन्धी निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं, अर्थात्:–

निर्देश

राज्य परिवहन प्राधिकरण, हरियाणा को, इसके द्वारा, निर्देश दिया जाता है कि राज्य में मंजिली गाड़ियों के लिये किराये और माल–भाड़े की निम्नलिखित दरें नियत करें:–

क्रम संख्या	सेवा की किस्म	सकल किराया (यात्री कर के उपरान्त) पैसा/यात्री प्रति किलोमीटर	व्यक्तिगत सामान का माल–भाड़ा
1	2	3	4
1	मैदानी क्षेत्र में सभी पक्की सड़कों के लिये	75.00	प्रति 40 किलोग्राम के लिये प्रति किलोमीटर, आधा किराया
2	डिलैक्स बसों के लिये	100.00	
3	वातानुकूलित डिलैक्स बसों के लिये	112.50	
4	राज्यीय आराम–देय वातानुकूलित बसों के लिये	131.25	
5	आराम–देय वातानुकूलित बसों के लिये	187.50	

व्याख्या :–

1. हरियाणा परिवहन द्वारा संचालित हरियाणा गौरव की बसों की दशा में साधारण किराये के अतिरिक्त प्रति टिकट निम्नलिखित अतिरिक्त राशि प्रभारित की जायेगी:–
   (क) 50 किलोमीटर तक ₹5/–
   (ख) 51 से 100 किलोमीटर तक ₹10/–
   (ग) 101 से 150 किलोमीटर तक ₹15/–
   (घ) 151 किलोमीटर या उससे ऊपर ₹20/–
2. मार्गों के विभिन्न प्रक्रमों के लिये (यात्री कर सम्मिलित करने के पश्चात्) संगणित किराये को अगले एक रूपये तक पूरा कर दिया जायेगा।
3. न्यूनतम प्रभार्य किराया (यात्री कर सम्मिलित करने के पश्चात्) पांच रूपये होगा।
4. आधे किलोमीटर से कम के भाग को नहीं गिना जायेगा।

एस॰सी॰चौधरी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
परिवहन विभाग।